रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 541] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 3, 2014/फाल्गुन 12, 1935
No. 541] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 3, 2014/PHALGUNA 12, 1935

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2014

का.आ. 633(अ).—अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (XIV) और उपधारा (**3**) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन अपेक्षानुसार जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं; साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध, है, वे लिखित रूप में, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते पर: esz-mef@nic.in भेज सकेगा ।

प्रारूप अधिसूचना

बोंदला वन्य जीव अभ्यारण गोवा राज्य में उत्तरी गोवा जिले में 15^{0} 26'54.78उ. ''और 15^{0} 24'42.50 '' उत्तरी अक्षांश और 74^{0} 7'16.36'' और 74^{0} ^{5}'26.60 '' के मध्य स्थित है तथा जिसका विस्तार 7.98 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तारित है, पश्चिमी घाट का एक महत्वपूर्ण भाग है जो जैव विविधता में समृद्ध है ;

और अभ्यारण में वन्य जीवों जैसे भारतीय गवल, तेंदुआ, पिसुरी हिरण, चित्तिदार हिरण, सांभर हिरण, काला तेंदुआ आदि संकटापन्न प्रजातियों और इस क्षेत्र की वनस्पति आर्द्र पर्णपाती प्रकार के वन द्वारा व्यपदिष्ट की जाती है ;

और इस वन्य जीवन अभ्यारण के वन वर्षा को अवरूद्ध करते हैं और भू-जलभृत की पुनःप्राप्ति में सहायता करते हैं और भूमि कटाव को कम करके गाद निकालने के संबंध में नदियों और सरिताओं का संरक्षण करते हैं और चारों तरफ फैली हुई सरिताओं के सुव्यवस्थित ऐसा नेटवर्क रखते हैं जो प्रकृति में बारहमासी या अर्द्ध बारहमासी या मौसमी होते हैं, खुशावती और खांडेपार नदियों का पोषण करते हैं ;

और पारिस्थितिकीय और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र के रूप में बोंदला वन्य जीव अभ्यारण के संरक्षित क्षेत्र के इर्द गिर्द क्षेत्र को सुरक्षित और संरक्षित करना आवश्यक है ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 उपधारा (1) और उपधारा (2) का खंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गोवा राज्य में बोंदला वन्य जीव अभ्यारण की सीमा के परिसर के साथ-साथ 1 किलोमीटर के क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके ब्यौरे निम्नानुसार हैं, अर्थात्

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन की विस्तार और सीमाएं -(1) बोंदला वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा के साथ साथ के समान रूप से 1 किलोमीटर है ।

(2) उत्तर में गंगेम, कोंकेयरेम और मेलोली ग्रामों के क्षेत्र से, दक्षिण और पश्चिम में धरबंद्रा पायलियम और अस ग्रामों के क्षेत्रों से, पूर्व में ध्रबंद्रा और मेलोली ग्रामों के क्षेत्रों से घिरा हुआ है; मदई नदी की एक सहायक नदी रगादा नदी पूर्व में पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र में प्रवेश करती है और कई स्थानों पर पूर्व से उत्तर की ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के साथ साथ गुजरती है ।

(3) पारिस्थितिकीय संवेदी जोन की सीमा का मानचित्र उसके अक्षांश और देशांतर के साथ इस अधिसूचना की **उपाबंध 1** के रूप में उपाबद्ध है ;

(4) बोंदला वन्य जीव अभ्यारण की सीमा के बाहर और बोंदला वन्य जीव अभ्यारण संवेदी पारितस्थितिकीय जोन के भीतर आने वाले धरबंडोरा तालुका के चार गांवों की सूची अर्थात् उसगांव, धरबंडोरा, गोतिया, खादिर बाड़ा और मेला उली इस अधिसूचना की **उपाबंध 2** के रूप में उपाबद्ध है ।

(5) उपाबंध 2 में दी गई ग्रामों की सूची आंचलिक महायोजना तैयार करते समय राज्य सरकार द्वारा पुनः पुनरीक्षित और पुष्टिकृत होगी ।

(6) बोंदला से मांडी और भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण से संबद्ध रिज प्राकृतिक वास वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 38(त्र) के खंड (छ) के अधीन उसके गलियारे के लिए संरक्षित होगा ।

2. पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना-- (1) पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के प्रभावी प्रबंध के प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, आंचलिक महायोजना तैयार करेगी और जो पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार विचार और अनुमोदन के लिए भेजेगी ।

(2) आंचलिक महायोजना सभी संबंधित राज्य सरकार के विभागों जैसे पर्यावरण, वन और वन्य जीव, कृषि, सड़क और भवन राजस्व, शहरी विकास, पर्यटन, ग्रामीण विकास, नगरपालिका, पंचायत राज, सिंचाई और बाढ नियंत्रण, खनन और लोक निर्माण विभाग, अंतर्वलित करके तैयार होगी जिससे उक्त योजना में पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी बातें समाविष्ट हो जाएं ।

(3) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जलसंभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मिट्टी और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी व पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए प्रबंधन होंगे ।

(4) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान और प्रस्तावित नगरी बंदोबस्तों, ग्राम बंदोबस्तों, वनों के किस्म और प्रकार, कृषि क्षेत्र, फलोद्यान, प्रचालन में खनन पट्टे, झीलों और अन्य जल निकायों को अभ्यकंन करेगी ।

(5) इस पारिस्थितिकीय संवेदी जोन की आंचलिक महायोजना विनिर्दिष्ट गोवा राज्य के लिए प्रादेशिक योजना में सम्मिल्लित होगी ।

(6) राज्यस्तरीय पारिस्थितिकीय संवेदी जोन मानीटरी समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात् रा.पा.जो.मा.से. कहा गया है) इस अधिसूचना के उपबंधों के अधीन, पैरा 4 में निर्दिष्ट, मानीटर के अपने कृत्यों को कार्यान्वित करेगी ।

(7) आंचलिक महायोजना पैरा 3 में विनिर्दिष्ट सारणी के स्तंभ (4) के अधीन विनिर्दिष्ट कार्यकलापों का विनियमन करने के लिए उपाय और अनुबंध अधिकथित करेंगी ।

(8) पारिस्थिकीय संवेदी जोन में वनों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्र, उद्यानों और आमोद-प्रमोद प्रयोजन के लिए चिन्हित खुले स्थानों का उपयोग का परिवर्तन संबंधित वाणिज्यिक या औद्योगिक से संबंधित कार्य कलापों के लिए नहीं होगा :

परंतु पारिस्थिकीय संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का परिवर्तन पैरा 3 की सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट क्रमश: वर्षा जल संचयन,कुटीर उद्योग जिसके अन्तर्गत ग्रामीण कला आदि भी है और प्रदूषण न कारित करने वाले लघु उद्योग से संबंधित मद संख्या 11,24 और 25 में सूचीबद्ध क्रियाकलापों के साथ विद्यमान स्थानीय जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि के कारण उत्पन्न स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं की केवल पूर्ति करने के लिए राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और राज्य रा.पा.सं.जो.मां.स. की सिफारिश पर अनुज्ञात होगा :

परंतु यह और कि जनजाति उपयोग की भूमि का गैर जनजातीय उपयोग में कोई परिवर्तन राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना और तत्समय प्रवृत्त विधिक उपबंधों जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति और अन्य पारंपरागत वन निवासा (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, के अनुपालन के बिना नहीं होगा ।

(9) केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए ऐसे अन्य उपाय, विनिर्दिष्ट कर सकेगी जो वह आवश्यक समझे ।

(10) प्राकृतिक जलस्रोत - सभी जलस्रोतों के आवाह क्षेत्रों को पहचान किया जाएगा और आंचलिक महायोजना में सूखे के समय उनकी प्राकृतिक स्थिति में संरक्षण और कायाकल्प की योजना सम्मिलित होगी तथा ऐसे क्षेत्रों पर या उसके निकट विकास क्रियाकलाप राज्य सरकार द्वारा कठोर मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे ।

(11) **पर्यटन** - पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के भीतर पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप निम्नानुसार होंगे, अर्थात् :--

(i) पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन संबंधी क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थिति सभी नये तकीय पर्यटन, पारिस्थितिक-शिक्षा और पारिस्थितिकीय विकास और पारिस्थितिकीय संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन के आधार को महत्व देते हुए राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, पर्यावरण और वन मंत्रालय, और पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी केंद्रीय मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा ;

(ii) पारिस्थितिकीय संवेदी जोन में, किसी प्रकार का नया संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना के अनुमोदित किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को रा.पा.सं.जो.मा.स. की वास्तविक स्थल की विनिर्दिष्ट संवीक्षा और सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरण द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा ;

(iv) पर्यटन क्रियाकलाप भी आंचलिक महायोजना के भाग होंगे ।

(12) **प्राकृतिक विरासत** - पारिस्थितिकीय संवेदी जोन में मूल्यवान प्राकृति विरासतों के स्थलों की पहचान की जाएगी और उन्हें आंचलिक महायोजना में सम्मिलित किया जाएगा ; पारिस्थितिकीय संवेदी जोन में, आरक्षित क्षेत्र में सभी प्रजनन तालाबों, चट्टान गठन, झरनों, जलस्रोत, घाटी मार्गों, वनी, गुफाओं, अंतरीप, विचरन स्थलों, पथ, खड़ी चट्टानें आदि संरक्षित होंगी ; राज्य सरकार इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके बचाव और संरक्षण के लिए योजना तैयार करेगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगी ।

(13) **मानवनिर्मित विरासत स्थल** - पारिस्थितिकीय संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृतियों और ऐतिहासिक वास्तु, सौंदर्य तथा सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों और उपक्षेत्रों की पहचान की जाएगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण के लिए योजना तैयार की जाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगी ।

(14) **ध्वनि प्रदूषण** -वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के उपबंधों के अनुसार, पर्यावरण विभाग या राज्य वन विभाग गोवा पारिस्थितिकीय संवेदी जोन में, ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम बनाने वाला प्राधिकारी होगा ।

(15) **वायु प्रदूषण** - वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के उपबंधों के अनुसार,पर्यावरण विभाग या राज्य वन विभाग गोवा पारिस्थितिकीय संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम बनाने वाला प्राधिकारी होगा ।

(16) **बहिस्रावों का निस्सारण**:-- पारिस्थितिकीय संवेदी जोन में उपचारित बहिःस्राव जल का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) के उपबंधों के अनुसार होगा

(17) **ठोस अपशिष्ट** :--(1) पारिस्थितिकीय संवेदी जोन में, ठोस अपशिष्ट का निपटानकेंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना सं0 का0आ0 908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 द्वारा प्रकाशित नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(2) स्थानीय प्राधिकारी जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथकन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(3) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा;

(4) अकार्बनिक सामग्री का निपटान किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा ।

(18) **यानीय परिवहन** - परिवहन की यानीय गतिविधियां, प्राकृतिक निवास के अनुकूल रीति से विनियमित होंगी और आंचलिक महायोजना में इसके उपबंध निगमित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के इस प्रकार तैयार किए जाने और उसका पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किए जाने तक रा.पा.जो.मा.से. प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय परिवहन को मानीटर करेगी ।

3. पारिस्थितिकीय संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित गतिविधियां -

(1) पारिस्थितिकीय संवेदी जोन में सभी गतिविधियां पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों द्वारा शासित होंगी और गतिविधियां नीचे दी गई तालिका के अनुसार विनियमित होंगी , अर्थात् -

सारणी

क्रम सं.	गतिविधि	प्रतिषिद्ध	विनियमित	अभिवृद्धि	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां	हां	-	-	(क) सभी प्रकार के खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होंगी ;
2.	वृक्षों की कटाई	-	हां	-	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केन्द्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी ।
3.	आरा मशीनों की स्थापना	हां	-	-	तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध
4.	जल, वायु, मृदा, ध्वनि प्रदूषण के कारक उद्योगों की स्थापना	हां	-	-	तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध
5.	होटल और रिसार्ट का वाणिज्यिक स्थापन	हां	-	-	तत्काल प्रभाव से पारिस्थितिकीय संवेदी जोन में नए वाणिज्यिक स्थापन जैसे होटल और रिसार्ट अनुज्ञात नहीं होंगे ।
6.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग	हां	-	-	तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध
7.	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भूजल संचयन भी है	-	हां	-	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए सतही और भूमिगत जल का निष्कर्षण अनुज्ञात होगा ; (ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल का निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी ; (ग) सतही/भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा ; (घ) किसी स्रोत से जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे ।
8.	नए बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना	हां	-	-	पारिस्थितिकीय संवेदी जोन में नए जलविद्युत संयंत्रों (बांधों, सुरंगों और जलाशयों) की स्थापना और विद्यमान संयंत्रों का विस्तार तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध है सिवाए संबद्ध ग्रामसभा और सभी अन्य आवश्यक अनापत्तियों के सहमति के अधीन रहते हुए सूक्ष्म जलविद्युत परियोजनाओं (100 किलोवाट तक) या लघु विद्युत परियोजनाओं (101 किलोवाट से 2000 किलोवाट तक) जो स्थानीय समुदायों की विद्युत की आवश्यकताओं को पूर्ति करती हों
9.	बिजली के तारों और दूर संचार टावरों का परिनिर्माण	-	हां	-	भूमिगत केबुल को बढावा देना
10.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन	-	-	हां	

	कृषि, जल कृषि और मछली पालन				
11.	वर्षा जल संचयन	-	-	हां	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए
12.	होटल और लॉज के विद्यमान परिसरों की घेराबंदी	-	हां	-	
13.	जैविक खेती	-	-	हां	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए
14.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण	-	हां	-	यथालागू उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और कम करने के साथ होगा
15.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन	-	हां	-	वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए
16.	विषैली प्रजातियों का पहचान	-	हां	-	
17.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन	हां	-	-	तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध
18.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप करना जैसे राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के ऊपर गर्मवायु गुब्बारों आदि से उड़ना	-	हां	-	
19.	पहाड़ी ढलानों और नदी के किनारों का संरक्षण	-	हां	-	
20 .	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण	हां	-	-	तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध
21.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण	-	हां	-	उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करना और अबमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन करना होगा ।
22.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग	-	हां	-	
23.	सभी क्रियाकलापों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना	-	-	हां	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए
24.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं	-	-	हां	
25.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग	-	हां	-	पारिस्थितिकीय संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं ।
26.	नई लकड़ी आधारित उद्योग	हां	-	-	पारिस्थितिकीय संवेदी जोन की सीमाओं के भीतर तत्काल प्रभाव से नई लकड़ी पर आधारित उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी ।
27.	वन उत्पादों और गैर कास्ट वन उत्पादों का संग्रहण	-	हां	-	
28.	संनिर्माण क्रियाकलाप	हां	-	-	पारिस्थितिकीय संवेदी जोन में, तत्काल प्रभाव से किसी प्रकार का नया संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं के सिवाए जिसके अंतर्गत मद सं. 11 और 24 में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं । मद सं. 25 सूचीबद्ध क्रियाकलापों की दशा में संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित होगा और न्यूनतम रखा जाएगा ।

29.	प्लास्टिक के थैलों का उपयोग	हां	-	-	तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध
30.	ईट भट्टे	हां	-	-	तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध

4. राज्य स्तरीय पारिस्थितिकीय संवेदी जोन मानीटरी समिति- (1) केन्द्रीय सरकार, पारिस्थितिकीय संवेदी जोन की प्रभावी मानीटरी के लिए गोवा राज्य के लिए पारिस्थितिकीय संवेदी मानिटरी जोन (रा. स्त पा.सं.जो.मां.स.) समिति नामक एक राज्य स्तरीय समिति का गठन करेगी, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-

(i) मुख्य सचिव, गोवा सरकार-अध्यक्ष ;

(ii) पर्यावरण और वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, बैंगलोर का प्रतिनिधि -सदस्य ;

(iii) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि-सदस्य ;

(iv) पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रहे गैर सरकारी संगठनों से गोवा सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाने वाला एक प्रतिनिधि-सदस्य ;

(v) समुदाय आधारित संगठनों का राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाने वाला एक प्रतिनिधि-सदस्य ;

(vi) गोवा सरकार के ग्रामीण विकास विभाग, कृषि, शहरी आवास और विकास, पर्यटन और पंचायती राज, लोक निर्माण विभाग से पांच प्रतिनिधि-सदस्य ;

(vii) गोवा राज्य की पारिस्थितिकी में विख्यात किसी संस्था या विश्वविद्यालय से एक विशेषज्ञ-सदस्य ;

(viii) संबंधित जिला कलक्टर -सदस्य ;

(ix) संबंधित वन्य-जीव वार्डन-सदस्य ; और

(x) निदेशक, पर्यावरण विभाग, गोवा सरकार -सदस्य सचिव ।

(2) रा स्त पा.सं.जो.मां.सं. इस अधिसूचना के उपबंधों की अनुपालन को मानीटरी करेगी ।

(3) कार्यकलाप, जो पैरा 3 के अधीन सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय, जो भारत सरकार की पर्यावरण और वन मंत्रालय में अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 में सम्मिलित हैं और पारिस्थितिकीय संवेदी जोन खंड में आती हैं, की रा. स्त पा.सं.जो.मां.स. द्वारा वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट स्थितियों के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और पर्यावरण और वन मंत्रालय में उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरणीय निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार को निर्दिष्ट की जांएगी ।

(4) क्रियाकलाप जो, पैरा 3 के अधीन सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय, जो भारत सरकार की पर्यावरण और वन मंत्रालय में अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 में सम्मिलित नहीं होते हैं किंतु पारिस्थितिकीय संवेदी जोन में आते हैं, रा.पा.सं.जो.मां.स. द्वारा वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट स्थितियों के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और संबंधित विनियामक प्राधिकारियों को निर्दिष्ट किए जाएंगे ।

(5) रा. स्त पा.सं.जो.मां.स. का अध्यक्ष या सदस्य सचिव पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन किसी व्यक्ति के विरुद्ध, जो अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करता है, शिकायत फाइल करने में सक्षम होगा ।

(6) रा.पा.सं.जो.मां.स. संबंधित विभागों से प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, उद्योग संगमों से प्रतिनिधियों या संबंधित पणधारियों को मुद्दे से मुद्दे के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर करते हुए विचार-विमर्श के आधार पर उसकी सहायता करने के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) रा. स्त पा.सं.जो.मां.स. उसके कार्यकलापों पर की गई कार्रवाई की वार्षिक रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष 31 मार्च, को पर्यावरण और वन मंत्रालय में केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय में अपने कृत्यों के प्रभावी पालन के लिए रा.पा.सं.जो.मां.स. को ऐसे निदेश दे सकेगी जैसा वह उचित समझे ।

5. अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश या पारित किए जाने वाले किसी आदेश, यदि कोई है, के अधीन हैं ।

उपबंध-1

अक्षांश और देशांतर के साथ बोंदला वन्य जीव अभ्यारण पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का मानचित्र

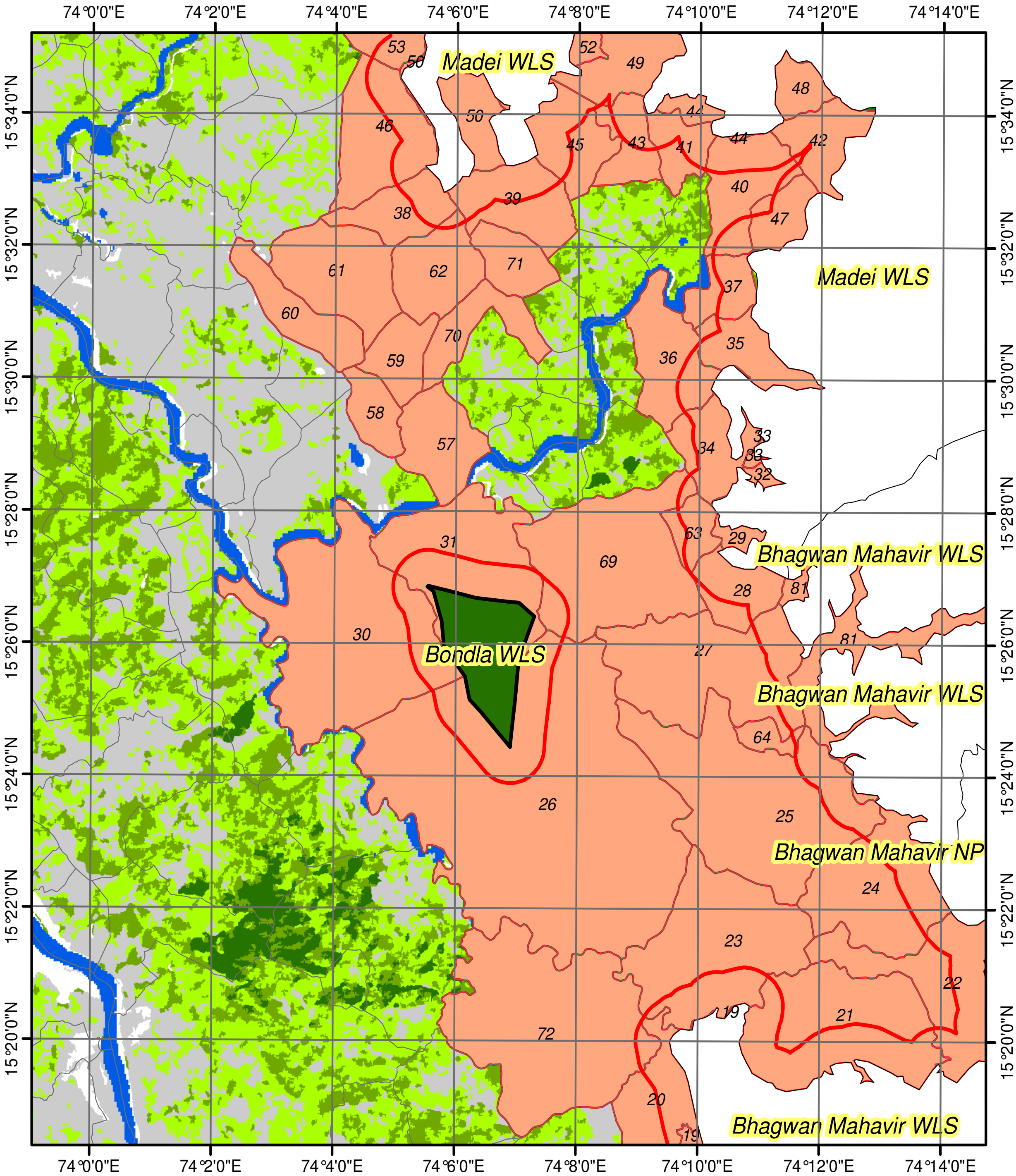

शीर्षक

- संरक्षित क्षेत्र
- ईएसजेड सीमा (1 किमी0 तक की परिधि)
- ग्राम सीमाएं
- पारिस्थितिक संवेदी ग्राम
- जल निकाय

वन आच्छादन (एफएसआई)

- औसत घना
- खुला
- बहुत सघन
- गैर-वन

उपबंध-2

मुख्य बिंदुओं पर उनके अक्षाशों और देशांतरों के साथ वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा आने वाले ग्रामों की सूची ।

पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा के भीतर भागतः आने वाले ग्रामों की सूची ।

ग्राम पहचानसं.	ग्राम का नाम	देशांतर	अक्षांश
26	डारबनडोरा	74.12273	15.3929
30	उसगावं	74.06997	15.43558
31	गोतियाखाडीवाडा	74.10235	15.45583
69	मेलावली	74.14275	15.45413

पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा के भीतर नहीं आने वाले ग्रामों की सूची किन्तु जिनका गलियारा मूल्य है ।

ग्राम पहचानसं	ग्राम का नाम	देशांतर	अक्षांश
57	वनते गांवकरवाडा	74.09542	15.484
58	पनसे	74.07736	15.49142
59	वागुरू	74.08457	15.50575
60	ओवलावान	74.05667	15.51641
61	पिसूरले	74.06768	15.52635
70	हासोल	74.106	15.51227
71	वालपोल	74.11521	15.52975

[फा0सं0 25/36/2013-ईएसजेड-आरई]
डा. जी.वी.सुब्रह्मण्यम, वैज्ञानिक 'जी'

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd March, 2014

S.O. 633(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment and Forest, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi-110 003, or at e-mail address:- esz-mef@nic.in.

Draft Notification

WHEREAS, the Bondla Wildlife Sanctuary, Goa lying between latitudes 15^0 26' 54.78'' N and 15^0 24' 42.50" N and longitudes 74^0 7' 16.36" E and 74^0 5' 26.60" E in the North Goa District of Goa State and extending over an area of 7.98 square kilometres, is an essential part of the Western Ghats, which is rich in biodiversity;

AND WHEREAS, the sanctuary inhabits the endangered species of wildlife like Indian bison, panther, mouse deer, spotted deer, sambhar deer, black panther, etc. and the flora of this area is represented by moist deciduous forest type;

AND WHEREAS, the forest of this Sanctuary intercepts rainfall and helps recharge ground water aquifer and protects rivers and streams against siltation by minimizing soil erosion and has a well knit network of streams spreading throughout, which are perennial or semi perennial or seasonal in nature, feeding Kushawati and Khandepar rivers;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area around the protected area of Bondla Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area of one kilometre all along the periphery of the boundary of the Bondla Wildlife Sanctuary in the State of Goa as the Eco-sensitive Zone, details of which are as under as under, namely:-

1. **Extent and Boundaries of Eco-sensitive Zone.-** (1) The extent of Eco-sensitive Zone is one kilometre uniformly all along the periphery of the boundary of the Bondla Wildlife Sanctuary within the State of Goa.

(2) The Eco-sensitive Zone is bounded on the North by areas of the villages Gangem, Conquirem and Melauli, on the South and West by the areas of the villages Dharbandora, Piliem and Usgaon, on the East by areas of the Villages Dharbandora and Melauli; the Ragada Nadi, a tributary of Madei River enters into the Eco-sensitive Zone on the East and passes along the Eco-sensitive Zone boundary from East towards North at few places.

(3) The map of Eco-sensitive Zone boundary together with its latitudes and longitudes is appended to this notification as **Annexure I**.

(4) The list of four villages namely, Usgao, Darbandora, Gotiakhadilwada and Melauli of Dharbandora Taluka situated outside the boundary of the Bondla Wildlife Sanctuary and falling within the Bondla Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone alongwith their longitudes and latitudes at prominent points are appended to this notification as **Annexure II.**

(5) The list of villages as given in Annexure II shall be further revisited and confirmed by the State Government while preparing the Zonal Master Plan.

(6) The ridge habitat linking Bondla to Madei and Bhagwan Mahaveer Wildlife Sanctuary and National Park shall be protected for its corridor value under clause (g) of section 38-O of Wildlife Protection Act, 1972 (53 of 1972).

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.- (1) For the purpose of effective management of the Eco-sensitive Zone, the State Government shall prepare, in consultation with local people, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, for the consideration and approval of the Ministry of Environment and Forests, Government of India.

(2) The Zonal Master Plan shall be prepared with the involvement of all concerned State Departments, such as Environment, Forest and Wildlife, Agriculture, Revenue, Urban and Housing Development, Tourism, Rural Development, Irrigation and Flood Control, Mining and Public Works Department for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan.

(3) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of degraded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, ground water management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of ecology and environment that need attention.

(4) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing and proposed urban settlements, village settlements, types and kinds of forest, agriculture areas, horticultural areas, mining leases in operation, lakes and other water bodies.

(5) The Zonal Master Plan thus prepared specific to this Eco-sensitive Zone shall be integrated into the regional plan for the State of Goa.

(6) The Zonal Master Plan shall be a reference document for the State Level Eco-sensitive Zone Monitoring Committee (hereinafter referred to as the SESZMC), as referred to in para 4, for carrying out its functions of monitoring under the provisions of this notification.

(7) The Zonal Master Plan shall indicate measures and lay down stipulations for regulation of activities under column (4) of the Table specified in para 3.

(8) Change of land use of forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes into areas for commercial or industrial related development activities shall not be permitted in the Eco-sensitive Zone:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the SESZMC, and with the prior approval of the State Government, only to meet the residential needs of the local residents arising due to the natural growth of existing local population including the activities listed at item numbers 11, 24 and 25, relating to rainwater harvesting, cottage industries including village artisans etc., and small scale industries not causing pollution respectively, specified in column (2) of the Table in para 3:

Provided further that no change in use of land from tribal usage to non-tribal usage shall be permitted without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act,2006(2 of 2007).

(9) The Central Government and the State Government may specify such other measures, as may be considered necessary, for giving effect to the provisions of this notification.

(10) **Natural Springs.-** The catchment areas of all springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation of those that have run dry, in their natural setting shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the strict guidelines shall be drawn up by the State Government to prohibit development activities at or near these areas.

(11) **Tourism.-** The activity relating to tourism within Eco-sensitive Zone shall be as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in line with the central guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority, Ministry of Environment and Forests and the Ministry of Tourism, Government of India with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) no new construction of any kind shall be allowed within the Eco-sensitive Zone;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scruitinisation and recommendation of the SESZMC;

(iv) the tourism activities shall also form a component of the Zonal Master Plan.

(12) **Natural Heritage.-** The sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone shall be identified and incorporated in the Zonal Master Plan; all the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. in the Eco-sensitive Zone shall be preserved; the State Government shall draw up proper plan for their protection and conservation within six months from the date of publication of this Notification and such plans shall form part of the Zonal Master Plan.

(13) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(14) **Noise pollution.-** The Environment Department or the State Forest Department of Goa shall be the authority to draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981).

(15) **Air Pollution.-**The Environment Department or the State Forest Department of Goa shall be the authority to draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981.

(16) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974(6 of 1974).

(17) **Solid Wastes.-** (1) The solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Central Government vide notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September 2000.

(2) The local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components.

(3) The biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture.

(4) The inorganic material shall be disposed of in an environmentally acceptable manner.

(18) **Vehicular Traffic**.- The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved by the Ministry of Environment and Forests, the SESZMC shall monitor compliance of vehicular moment as per the rules and regulations in force.

3. Activities to be prohibited and regulated within the Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

Table

S.No.	Activity	Prohibited	Regulated	Permitted	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units.	Yes	-	-	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect.
2.	Felling of trees.	-	Yes	-	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government; (b) the felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
3.	Setting up of saw mills.	Yes	-	-	Prohibited with immediate effect.
4.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	Yes	-	-	Prohibited with immediate effect.
5.	Commercial establishment of hotels and resorts.	Yes	-	-	No new commercial establishment such as hotels and resorts shall be permitted within the Eco-sensitive Zone with immediate effect.
6.	Commercial use of firewood.	Yes	-	-	Prohibited with immediate effect.
7.	Commercial water resources including ground water harvesting.	-	Yes	-	(a) The extraction of surface water and ground water shall be allowed only for *bona fide* agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land; (b) the extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned Regulatory Authority; (c) no sale of surface water or ground water shall be permitted; (d) steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.

8.	Establishment of new major hydroelectric projects.	Yes	-	-	Setting up of new hydro-electric power plants (dams, tunnelling, and construction of reservoir) and expansion of existing plants in the Eco-sensitive Zone is prohibited with immediate effect except the micro hydel power projects (Up to 100KW) or the mini hydel power projects (from 101 to 2000KW), which would serve the energy needs of the local communities, subject to consent of the concerned Gram Sabha and all other requisite clearances.
9.	Erection of electrical cables and telecommunication towers.	-	Yes	-	Promote underground cabling.
10.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	-	-	Yes	
11.	Rain water harvesting.	-	-	Yes	Shall be actively promoted.
12.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	-	Yes	-	
13.	Organic farming.	-	-	Yes	Shall be actively promoted.
14.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	-	Yes	-	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
15.	Movement of vehicular traffic at night.	-	Yes	-	For commercial purpose.
16.	Introduction of exotic species.	-	Yes	-	
17.	Use or production of any hazardous substances.	Yes	-	-	Prohibited with immediate effect
18.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the National Park area by hot-air balloons, etc.	-	Yes	-	
19.	Protection of hill	-	Yes	-	

	slopes and river banks.				
20.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Yes	-	-	Prohibited with immediate effect
21.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	-	Yes	-	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed.
22.	Commercial Sign boards and hoardings.	-	Yes	-	
23.	Adoption of green technology for all activities.	-	-	Yes	Shall be actively promoted.
24.	Cottage industries including village artisans, etc.	-	-	Yes	
25.	Small scale industries not causing pollution.	-	Yes	-	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment.
26.	New wood based industry.	Yes	-	-	No establishment of new wood based industry shall be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone with immediate effect.
27.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	-	Yes	-	
28.	Construction activities	Yes	-	-	No new construction of any kind shall be allowed within the Eco-sensitive Zone with immediate effect, except for the domestic needs of local residents including the activities listed at item numbers 11 and 24. In the case of activities listed at item number 25, the construction activity shall be regulated and kept at the minimum.
29.	Use of plastic carry bags.	Yes	-	-	Prohibited with immediate effect.
30.	Brick kilns.	Yes	-	-	Prohibited with immediate effect.

4. State Level Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.- (1) The Central Government shall, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone , constitute a Committee to be called the State Level Eco-sensitive Zone Monitoring Committee (SESZMC) for the State of Goa which shall comprise of:-

(i) Chief Secretary, Government of Goa- Chairman;

(ii) representative of the Ministry of Environment and Forests, Regional Office, Bangalore– Member;

(iii) representative of the State Pollution Control Board-Member;

(iv) one representative of Non-governmental Organizations working in the field of environment to be nominated by the Government of Goa– Member;

(v) one representative of community based organization nominated by the State Government-Member;

(vi) five representatives of the Government of Goa from Departments of Rural Development, Agriculture, Urban Development and Housing, Mining and Ports and Transport-Members;

(vii) one expert in Ecology from reputed Institution or University of the State of Goa- Member;

(viii) concerned District Collector-Member;

(ix) concerned Wildlife Warden – Member; and

(x) Director, Department of Environment, Government of Goa – Member Secretary.

(2) The SESZMC shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column(3) of the Table under para 3, shall be scrutinised by the SESZMC based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment and Forests for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 but are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column(3) of the Table under para 3, shall be scrutinised by the SESZMC based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(5) The Chairman or the Member Secretary of the SESZMC shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The SESZMC may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist it in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The SESZMC shall submit the annual action taken report of its activities by 31st March of every year to the Central Government in the Ministry of Environment and Forests.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment and Forests may give such directions, as it deems fit, to the SESZMC for effective discharge of its functions.

5. The provisions of this Notification are subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court.

Annexure I

Map of Bondla Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone showing

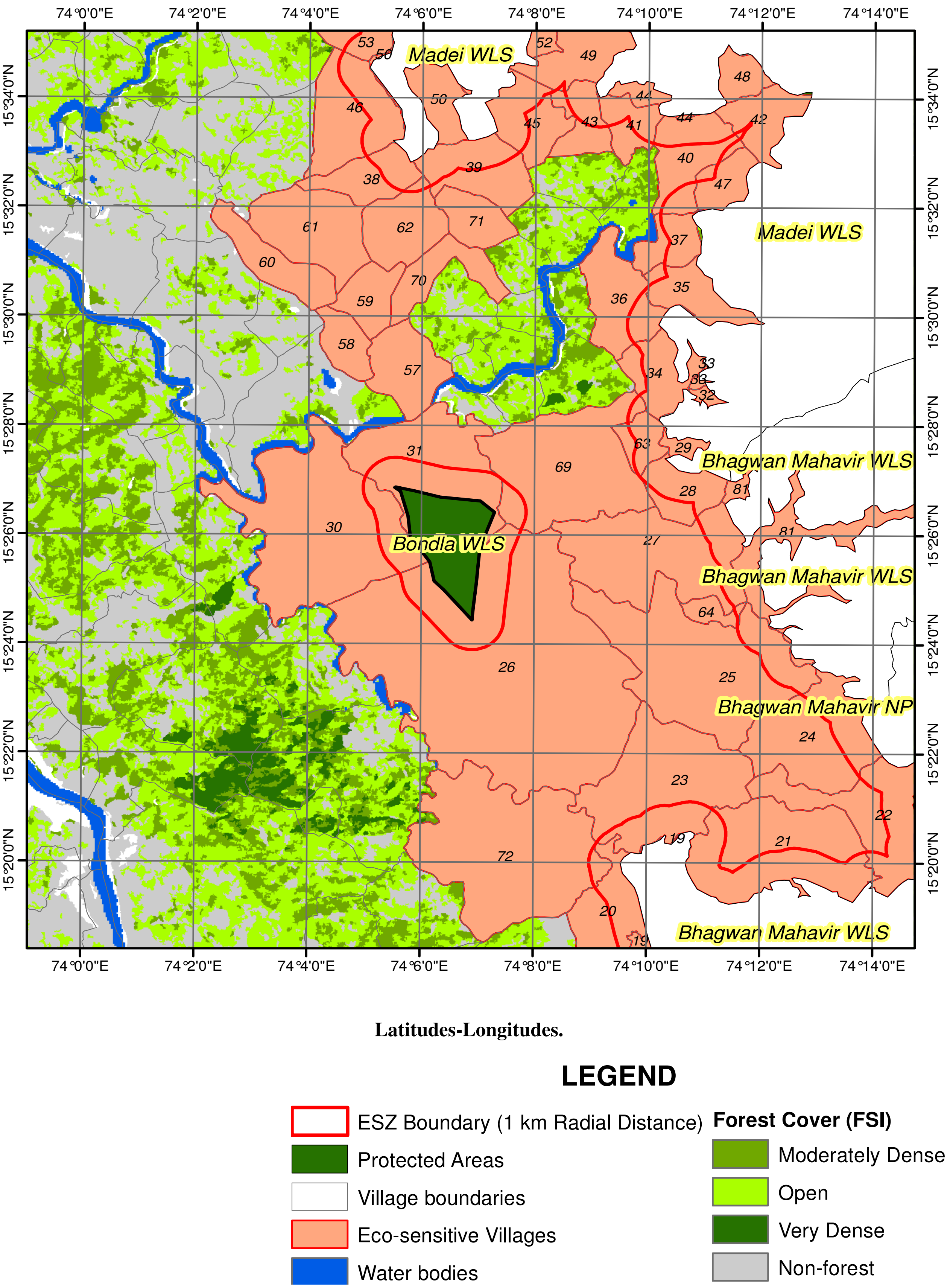

Latitudes-Longitudes.

Annexure II

List of villages falling within the Eco-sensitive Zone alongwith their longitudes and latitudes of prominent points

List of Villages partially within the ESZ Boundary

Village ID	Village Name	Longitude	Latitude
26	DARBANDORA	74.12273	15.3929
30	Usgaon	74.06997	15.43558
31	Gotiakhadilwada	74.10235	15.45583
69	MELAVALI	74.14275	15.45413

List of Villages not within ESZ Boundary but having Corridor value

Village ID	Village Name	Longitude	Latitude
57	Vante Gaonkarwada	74.09542	15.484
58	Panse	74.07736	15.49142
59	Wagure	74.08457	15.50575
60	Ovalayen	74.05667	15.51641
61	Pissurle	74.06768	15.52635
70	HASOLE	74.106	15.51227
71	Valpoy	74.11521	15.52975

[F. No. 25/36/2013-ESZ-RE]

Dr. G. V. SUBRAHMANYAM, Scientist 'G'

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.